अध्याय - 6

निष्कर्ष

6.1 देश में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के दृष्टिगत, विद्युत मंत्रालय ने XI और XII योजना के दौरान प्रत्येक 4000 मेगावाट की क्षमता वाली 16 अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपीज़) को विकास करने के लिए चिन्हित किया। पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड यूएमपीपीज़ के विकास के लिए केन्द्रक अभिकरण थी और शैल कम्पनियों के स्वरूप वाले विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) पीएफसी द्वारा बनाए गए थे। अभी तक, चार यूएमपीपीज़ अर्थात सासन, मुन्द्रा, कृष्णापत्तनम और तिलैया के लिए परियोजना विकासक द्वारा इन एसपीवीज़ को ठेके प्रदान किए गए हैं।

6.2 लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना विकासकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया में काफी कमियाँ थी क्योंकि बोलीदाताओं की पूर्वअर्हता के लिए न्यूनतम अर्हता मानदण्ड जैसे निवल सम्पत्ति परियोजना के आकार पर विचार करते हुए निम्नतर थी और मानक बोली दस्तावेजों की कुछ मुख्य शर्तों को बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा या विकासकों को अनुकूलता प्रदान करने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए कम प्रभावी बनाया गया था।

6.3 रिलायन्स पावर लिमिटेड (आरपीएल) जिसको चार यूएमपीपी में से तीन प्रदान किए गए थे में बोली पूर्व दस्तावेजों में निबंधित न्यूनतम अर्हता आवश्यकता को पूरा नहीं करता था। बिड प्रोसेस मेनेजमेंट कन्सलटेंट मै. ई एण्ड वाई के साथ-साथ विभिन्न मूल्यांकन समितियाँ प्रभावी रूप से अपना कार्य करने में विफल रहीं।

6.4 आरपीएल को सासन परियोजना देने के बाद यूएमपीपीज़ पर अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) ने सिफारिश की और कोयला मंत्रालय ने आरपीएल को सासन यूएमपीपी की तीन (मोहर, मोहर अमलोरी विस्तार एवं छत्रसाल आन्तरिक खानों से अन्य परियोजनाओं अर्थात मध्य प्रदेश में चित्रांगी के लिए अतिरिक्त कोयले के उपयोग की अनुमति प्रदान की। आबंटन पत्रों में सभी खण्डों को पढ़ने से पता चलता है कि यह खण्ड कोयला आबंटन पत्र में विकासक द्वारा कोयले के दुरूपयोग को रोकने के लिए डाले गए थे। ठेका प्रदान करने के बाद बोलीदाता को अन्य परियोजनाओं में बेशी कोयले के प्रयोग की अनुमति न्यूनतम टैरिफ की स्वीकृति पर आधारित थी जिससे बोली प्रक्रिया की यथार्थता दूषित हो गई जिसका परिणाम विकासक को पश्च बोली रियायतें होगी जिनकी महत्वपूर्ण वित्तीय विवक्षा होगी।

6.5 सासन यूएमपीपी को सौंपने के पश्चात् आबंटित तीन कोयला ब्लॉकों से आरपीएल द्वारा अधिक कोयले के उपयोग की अनुमति से न केवल बोली प्रक्रिया विकृत हुई बल्कि इससे आरपीएल को भी अनुचित लाभ मिला।

सरकारी कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए भावी विकासकों के लिए बोली प्रक्रिया की सही स्थिति तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तीसरे कोयला ब्लॉक (छत्रसाल) के आबंटन की उचित समीक्षा की जाए। चूंकि विकासक ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि वह दो ब्लॉकों से 20 मिलियन टन का ही संसाधन कर पाएगा, अतः सासन यूएमपीपी को देने के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध होगा।

6.6 लेखापरीक्षा ने सासन परियोजना (₹ 1.196 प्रति यूनिट) की चित्रांगी परियोजना (मध्य प्रदेश के लिए ₹ 2.450 तथा उत्तर प्रदेश के लिए ₹ 3.702) के साथ तुलना के आधार पर परियोजना विकासक को होने के वाले वित्तीय लाभ का अनुमान लगाया है। टैरिफ में अन्तर के प्रभाव के कारण आरपीएल को समग्र वित्तीय लाभ ₹ 29,033 करोड़ बनता है जिसका निवल वर्तमान मूल्य ₹ 11,852 करोड़ है।